छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक 31

पत्रक भाग –दो

गुरूवार, दिनांक 19 मार्च, 2026 (फाल्गुन 28, 1947)

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) का शुद्धि पत्रक

माननीय श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि उनकी ओर से प्रस्तुत छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) में निम्नानुसार संशोधित कर पढ़ा जाये :–

अध्याय–एक

खण्ड–2 (ढ) "भर्ती नियम''से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाये गये नियम, जो भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करते हैं।

''के स्थान पर''

अध्याय–एक

खण्ड–2 (ढ) "भर्ती नियम'' से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाये गये नियम, जो भर्ती की शर्तों को विनियमित करते हैं।

अध्याय–पांच

खण्ड–13. (4) मण्डल, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित मण्डल निधि का उपयोग कर सकेगा।

''के स्थान पर''

अध्याय–पांच

खण्ड–13. (4) मण्डल, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम द्वारा विहित मण्डल निधि का उपयोग कर सकेगा।

तद्नुसार छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) को संशोधित कर पढ़ा जाये।

दिनेश शर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा